न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2011
दायर दिनांक :– 31/03/2011
निर्णय दिनांक – 16/05/2018

अनवान

1. नाथीबाई पुत्री धन्ना पति जवाहरजी सदरगडा, निवासी– गांगास, तह0 रेलमगरा
2. रामीबाई पुत्री धन्ना पति मानाजी जाति सरगडा, निवासी– हाल गांगास, तह0 रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत जवासीया जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जवासीया,तह0 रेलमगरा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा।
3. सुरेशचन्द्र दतक पुत्र गोपीया उर्फ गोपीलाल जाति सरगडा, निवासी– गांगास, तह0 रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद स्वत्व घोषणा, तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि गांव गांगास में आराजी संख्या 432, 848, 849, 850, 1084/161, 1085/163, 1086/457, 1087/161, 932 कुल किता–09 कुल रकबा 16–04 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां स्वर्गीय गोपिया पिता धन्ना को जरिये विरासत से धन्ना से प्राप्त हुई है। उपरोक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां वादीगण की मौरूसी जायदाद है। वादीगण का सजरा वाद पत्र में अंकित है। उपरोक्त स्व0 धन्ना जी के रामी बाई एवं नाथी बाई पुत्रियां एवं गौपिया पुत्र है। पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां स्व0 गोपिया को विरासत से प्राप्त हुई है। गोपिया का स्वर्गवास दिनांक 14.01.2011 को हो गया है। स्वर्गीय गोपीया की पत्नि का स्वर्गवास गोपिया के पूर्व हो गयास है। गोपिया लाऔलाद फौत हुआ है, और उसके कोई जायन्दा सतंतान नहीं है। स्वर्गीय गोपिया के वादीगण सगी बहिने है। स्वर्गीय गोपिया का सारा क्रिया कर्म, दाह संस्कार आदि वादीगण ने किया है। स्वर्गीय गौपिया की मृत्यु के बाद पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों की एकमात्र मालिक एवं अधिकारिणी वादीगण ही है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मैं वर्णित भूमियों में 1(अ), 1(ब) का एकमात्र मालिक खातेदार स्वर्गीय गोपिया था, एवं 1(स) में स्वर्गीय गोपिया का 2/10

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हिस्सा है। वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित भूमियों की एकमात्र मालिक एवं अधिकारिणी स्व0 गोपिया के मरणोपरान्त वादीगण ही है, वादीगण ही उक्त भूमियों का उपयोग उपभोग करती आ रही है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 एक के यहां स्व0 गापिया की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने अभी तक वादीगण के नाम पर कोई नामान्तरकरण नहीं खोला एवं टालम टोल का जवाब दे रहे है। प्रार्थना पत्र देने के पश्चात काफी समय तक प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण के नाम पर नामान्तरकरण नहीं खोल तो वादीगण ने अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादीगण को कानूनी नोटिस दिनांक 11.02.2011 को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया गया, उसके पशत भी आज दिन तक वादीगण के नाम पर नामान्तरकरण नहीं खोला गया। स्व0 गोपिया की सगी बहिने वादीगण है। स्व0 गोपियां लाऔलाद फोत होने से वादीगण के जाति के लोगो के मन में बददयान्ती पैदा हो गई है,, और वे गलत रूपेण स्व0 गोपिया की जायदाद को हथियाने चाहते है, और गोपिया की भूमियां गलत तथ्य बताकर अपने नाम पर करवाने चाहते है, जिसके संबंध में वादीगण ने अपने अधिवक्ता के मार्फत एक आम सूचना दिनांक 07.02.2011 को अखबार में भी प्रकाशित करवाई है। स्व0 गोपिया की वादीगण सगी बहिने है, और स्व0 गोपिया लाऔलाद फौत हुआ है, और स्व0 गोपिया का क्रिया कर्म, दाह संस्कार, बैठना आदि वादीगण ने किया है, इसलिए वादीगण स्व0 गोपिया की मृत्यु के पश्चात वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों की एकमात्र खातेदार है, और उक्त भूमियों मौरूसी जायदाद होने से स्व0 गोपिया के बाद वादीगण ही मालिक होकर खातेदार है। वादीगण को पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, इसी निमित वाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के नाम पर स्व0 गोपिया की मृत्यु परान्त नामान्तरकरण नहीं खोल दूसरे के नाम पर खैलने पर आमादा है, इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित भूमियों का नामान्तरकरण वादीगण के अलावा अन्य किसी के भी नाम पर नहीं खोले न ही स्व0 गोपिया के मकान का पटटा वादीगण के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम पर जारी नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध तत्काल स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो वादीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति जरे नकदी में असंभव होगी, व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी, वादीगण वृद्ध एवं असहाय अनपढ़ महिलाऐ है। वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों मौरूसी जायदाद होने से वादीगण का इसमें जन्म से ही एक अधिकार है, और उक्त भूमि में वादीगण अपना हक एवं अधिकार रखती है, तथा वादीगण अपने हक एवं अधिकारों के तहत अपने हिस्से की भूमि का खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। वाद कारण दिनांक 11.02.2011 को प्रतिवादीगण को कानूनी रजिस्टर्ड नोटिस देने के उपरान्त व प्रार्थना

के कलक्टर
ड अधिकारी)
लमगरा

पत्र नामान्तरकरण अपने नाम पर खौलने बाबत देने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 01 ने आज दिन तक वादीगण के नाम पर वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों का नामान्तरकरण नहीं खौलने से लगातार पैदा हुआ जो अभी तक जारी है। उक्त वाद में राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, रेलमगरा आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें वाद के पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 ाक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जिसकी समयावधि 60 योम है, अगर उक्त नोटिस की पालना की जाती है, तो प्रतिवादी संख्या एक वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित भूमियों का नामान्तरकरण वादीगण के अलावा अन्य व्यक्ति के नाम पर खोल देगा। वाद अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का है। वाद पेश करने की स्वीकृति बाबत धारा 80(2)जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्नानुसार वाद डिकी फरमाई जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों की वादीगण एकमात्र खातेदार होकर उनके स्वत्व की घोषणा की डिकी वादीगण के पदा में पारित फरमाई जावे। इसी अनुसार वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कराया जावें वादीगण के पदा में एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित भूमियों का नामान्तरकरण वादीगण के नाम पर खोल व अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं खोले। स्व0 गोपिया के मकान का पटटा वादीगण के अलावा अन्य किसी के भी नाम पर जारी नहीं करे न कराये।

इस पर पत्राली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 02 भूमि धारक होकर उसके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है। तथा प्रतिवादी संख्या 03 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय प्रतिपवाद के प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 02 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है सभी भूमियां स्वर्गीय गोपीया पिता धन्ना को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं की। वादीगण ने मिथ्या वर्णित किया गया। विस्तुत जवाब विशेष जवाब में वर्णित किया जा रहा है। वादपत्र की कलम संख्या 03 का विवरण में गोपीयों लाऔलाद फौत होना गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण एवं गोपीया स्व. धन्ना जी के पुत्र–पुत्रीयॉं होना स्वीकार है। गोपीयां ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में गोदनामा व वसीयत पत्र निष्पादित किया जिससे गोपीया की मृत्यु निर्वसीयत ही न होकर वसीयती मृत्यु हुई है। वादपत्र की कलम संख्या 04 के विवरण में श्री गोपया की

कलक्टर
अधिकारी)
मगरा

मृत्यु दिनांक 14.01.2011 को होना स्वीकार है एवं स्व.गोपीया की पत्नि का स्वर्गवास भी गोपया की मृत्यु के पूर्व होना स्वीकार है किन्तु गोपीया लाऔलाद पगैत होना मिथ्या वर्णित किया है। वादीगण की गोपीया की भूमी में कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादपत्र की कलम संख्या 05 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है गोपीया की मृत्यु उपरान्त सारे किया कम एवं संस्कार प्रतिवादी संख्या 03 ने किये वादीगण ने लालच के वशीभूत होकर मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित वादपत्र प्रस्तुत किया है स्वर्गीय गोपीयॉ की भूमियों में वादीगण को कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिवचन में एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह भी अभिवचन नहीं किया कि किस प्रकार स्वर्गीय गोपीया को उत्तराधिकार में भूमियॉ प्राप्त हुई व कब प्राप्त हुई धन्नाजी की मृत्यु कब हुई कोई अभिवचन नहीं किया गया। वादपत्र की कलम संख्या 06 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण को कोई खातेदारी हक उत्पन्न नहीं होता है। वादपत्र की कलम संख्या 07 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में होरक अस्वीकार है। वादीगण को वादग्रस्त भूमियों का कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादपत्र की कलम संख्या 08 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है गोपीया की मृत्यु वसीयत की हुई है एवं उसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा विधि अनुसार नामान्तरणकरण भरा गया एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के यहां निर्णित होने बाबत् प्रस्तुत किया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के जवाब में आने के कारण नामान्तरणकरण निर्णित नहीं किया तथा गोपीयॉ के नाम पर अपने के पश्चात् ग्राम पंचायत को घोषणा सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं होता है। वादपत्र की कलम संख्या 08 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। सूचना पत्र मिथ्या तथ्यों पर दिया गयां। वादपत्र की कलम संख्या 10 दस का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गसया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। अलावा वादीगण स्वं गोपीयॉ की बहिने अवश्यक है वादीगण ने एक ही तथ्य को बार–बार दौहराया गया है जिससे अलग से जवाब की आवश्यकता नही है। वादपत्र की कलम संख्या 11 ग्यारह के विवरण में वादीगण गोपीयॉ की बहिने होना स्वीकार है वादीगण ने एक ही तथ्यों का वार–बार पुनरावर्ती की है जिससे जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र की कलम संख्या 12 बारह का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्बीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 13 तेरह का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण ने मौरूसी भूमियॉ होने के बारे में अभिवचन के साथ मोरूसी जायदाद होने का कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया। वादपत्र की कलम संख्या 14 चौदह का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप मे

कलक्टर
अधिकारी)

गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। वादपत्र की कलम संख्या 15 पन्द्रह का विवरण कानुनी होकर जांच से सम्बन्धित है। वादपत्र की कलम संख्या 16 सोलह का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। पत्र की कलम संख्या 17 सत्तरेह के विवरण में वाद मूल्यांकन अप्रर्याप्त है। प्रार्थना वादीगण की मिथ्या होने से वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें। विशेष कथन अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमियों में आराजी संख्या 648 क्षैत्रफल 6.18 भगवान पिता धन्ना को सन् 1975 में आंवटित हुई एवं आराजी सेख्या 849, 850 गोपीया, भगवान पिता धन्ना को आंवटित हुई एवं भगवान के कोई उत्तराधिकारी नहीं था जिससे प्रथम अनुसूची का वारिस कोई नहीं होने से व द्वितीय अनुसूची के वारिस में गोपीया को प्राथमिकता के आधार पर उत्तराधिकार में भूमियों प्राप्त हुई जिससे इन भूमियों में वादीगण का कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। भगवानलाल की मृत्यु वर्ष 1977 से पूर्व हो चुकी थी जिससे उत्तराधिकार के आधार पर भगवानलासल के हिस्से की भूमियों गोपीयॉ को प्राप्त हो गई थी एवं गोपयॉ के जीवनकाल में व मरने के उपरान्त गोपीया के हिस्से की भमियॉ पूर्ण रूपेण प्रतिवादी संख्या 03 को भूमियॉ प्राप्त हो गई। प्रतिवादी संख्या 3 तीन का ही मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहो है। वादीगण का कभी भी खातेदारी अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है।

प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गांगास में स्वर्गीय गोपीयॉ पिता धन्ना संरगडा निवासी गांगास के नाम पर आराजी संख्या 432, 848, 849, 850 कुल किता 4 चार कुल रकबा 09–16 बीघा तथा आराजी संख्या 1084/161,1085/163, 1086/457, 1087/161 कुल किता 4 , कुल रकबा 3–05 बिस्वा स्थित है। स्वर्गीय धन्ना की मृत्यु वर्ष 1975 से पूर्व हो चुकी थी। आराजी संख्या 848 क्षैत्रफल 06–18 बीघा भगवान पिता धन्ना सरगडा को वर्ष 1975 में आंवटित हुई थी। एवं उसके पश्चात वर्ष 1975 के प्रारम्भ में भगवान की मृत्यु हो चुकी थी एवं भगवान के प्रथम अनुसूची का कोई अत्तराधिकारी न होने के कारण व द्वितीय अनुसूची में वरियता का उत्तराधिाकर गोपीया को प्राप्त हो गई। आराजी संख्या 432 क्षैत्रफल 02–10 बीघा गोपीया व भगवान के संयुक्त खोतदारी व आधिपत्य की थी। जिससे गोपीया की मृत्यु के पश्चात गोदपुत्र व वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गयै। इसी प्रकार आराजी संख्या 848 क्षेत्रफल 06–18 बीघा भगवान पिता धन्ना की आंवटन से स्वअर्जित थी। जिसमें भगवान की मृत्यु के पश्चात गोपीया को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इसी प्रकार आराजी संख्या 849 व 850 भी गोपीया व भगवान दोना के संयुक्त रूप से आंवटित हुई एवं भगवान की मृत्यु उपरान्त उसका हिस्सा गोपीया को प्राप्त हुआ व गोपीया की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 03 को वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई। ग्राम गांगास तहसील क्षैत्र रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

में भगवान पिता धन्ना के खातेदारी व आधिपत्य की भूमियों जो कि प्रतिवाद पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित है के खातेदारी व आधिपत्य की भूमिया थी। भगवान की मृत्यु होन के कारण द्वि अनुसूची का उच्च वरियता प्राप्त उत्तराधिकारी गोपीया ही था। जिससे भगवान की भूमियां गोपीया नाम पर अंकित हुई केवल मात्र आरजी संख्या 432 क्षैत्रफल 02–10 बीघा गोपीयां, भगवान को धन्ना उत्तराधिकार में प्राप्त हुई जिसमें भगवान की मृत्यु उपरान्त उच्च वरियता के आधार पर भगवान हिस्सा गोपीया को प्राप्त हुआ एंव गोपीया को प्राप्त होने के बाद गोपयां, द्वारा वसीयत व पंजि गोदपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 खातेदारी हक प्राप्त हो गये जिससे प्राप्त वादपत्र की क संख्या 01 एक व 02 दो में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 03 को खातेदारी अधिकारों की घोष फरमायी जावें। वादग्रस्त भूमियों में वादीगण को कोई खातेदारी हक प्राप्त नहीं हुए है न प्राप्त हो सव है वादीगण ने सारे वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए व प्रतिवादी संख्या 03 को पक्षकार बनाये ब मलीन हाथों से वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिससे प्रतिवादी संख्या 3तीन की ओर से उक्त प्रतिवाद प प्रस्तुत किया जाना नितांत आवश्यक हो गया एवं वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 को बि पक्षकार बनाये वादग्रस्त भूमियों के बारे में प्रतिवादी संख्या 01, 02 दो से मिली भगत व नामान्तरणकरण की कार्यवाही को न्यायालय आपमें रूकवा दिया है जिससे प्रतिवादी संख्या 03 व वादग्रस्त भूमियों के बारे में खातेदारी अधिकारों के लिए उक्त प्रतिवाद प्रस्तुत किया जाना निता आवश्यक होने से वादीगण के विरूद्ध उक्त प्रतिपवाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 03 को प्रतिपवाद हे दिनांक 10.05.2011 को प्रतिवादी संख्या 03 के नाम पर नामान्तरणकरण निर्णित होने की कार्यवाह वादीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या 01, 02 से मिलकर सहमति के आधा पर मूल वाद के निर्णय तक तथा स्थिति के आदेश पारित करवा दिया। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में वादीगण संख्या 01, 02 के विरूद्ध इस आशय की खातेदारी अधिकरों की कलम संख्या 01, 02 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 03 को खातेदार घोषित फरमाया जावें तदअनुरू राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जावें। प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे कि प्रतिवादी संख्या 3तीन के खातेदारी व आधिपत्य की भूमी मे वादीगण किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित न करे न ही उक्त कार्य अपने किसी नौकर, चाजर, एजेन्ट से करावे।

प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से प्रस्तुत प्रतीपवाद का वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रतीप वाद की कलम नंबर 01 स्वीकार है। प्रतीप वाद की कलम नंबर 02 स्वीकार है। प्रतीप वाद की कलम नंबर 03 में धन्ना की मृत्यु होना स्वीकार है, धन्ना की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई

..८८६
(अधिकारी)

...के अभाव में अस्वीकार है। प्रतीप वाद की कलम नंबर 04 में आराजी संख्य...
...बीया भगवान पिता धन्ना जी सरगडा को वर्ष 1975 में आवंटित हुई उसे प्रतिव...
...दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करावे। भगवान की मृत्यु किस वर्ष हुई प्रतिवादी संख्या...
...जी साक्ष्य से साबित करावे। उक्त आराजी स्व0 गोपिया की विरासत से प्राप्त हुई है...
...पश्चात गोपिया की सभी आराजियात पर विरासत से वादीगण का हक एवं...
...गोपिया ने प्रतिवादी संख्या 03 को उक्त भूमि कमी वसीयत नहीं की है, न ही...
...मालिक होकर अधिकारी है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 03 को जानती तक नही...
...स्व0 गोपिया ने कभी जिक्र किया है। न ही प्रतिवादी संख्या 03 में स्व0 गोपि...
...है। महज प्रतिवादी संख्या 03 फर्जी एवं झुठे गोद पत्र व वसीयत के आध...
...जमीन जायदाद को हड़प करना चाहता है, इस कारण प्रतिवादी संख्या 03...
...करने के उदेश्य से फर्जी एवं झुठे गोद पत्र व वसीयत का सहारा ले रहा है।...
...ख्या 03 के नाम पर नामान्तरकरण की कार्यवाही रूकवाई है, जो जायज है। प्रति...
...भूमियां के बारे में खातेदारी अधिकारों के लिए उक्त प्रतीप वाद पेश किया है...
...योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 वादीगण की गरीबी एवं अनपढ होने एवं वृद्ध...
...फायदा उठाकर जमीन हडपना चहाता है। प्रतीप वाद की कलम नंबर 07 में...
...प्रतिवादी संख्या 03 के नाम पर नामान्रकरण निर्णित होने की कार्यवाही...
...के प्रार्थना पत्र पर वादग्रस्त भूमियां मोरूसी होने से मूल वाद के निर्णय...
...पारित करवा दिये जो सही है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने सही रूप...
...है, प्रतिवादी संख्या 03 गलत एवं झुठे रूप से प्रतिवादी संख्या 01–02 प...
...कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 03 को कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता है।...
...गोद रखा है। गोद पत्रण व वसीयत फर्जी है। न ही उक्त भूमियों पर...
...है, बल्कि उक्त भूमियों पर विरासत के आधार पर वादीगण का कब्जा...
...05 जिस ढंग से लिखी है, गलत होकर अस्वीकार है। उक्त भूमियां वि...
...अंकित हुई है। गोपिया ही स्व0 भगवान का उतराधिकारी एवं वारिस...
...संख्या 03 को कभी गोद नहीं रहा न ही उसके नाम पर वसीयत की है।...
...पत्र व वसीयत के आधार पर गलत तरीक से स्व0 गोपिया की भूतम...
...गोपिया की भूमियां हडप करना चाहता है। स्व0 गोपिया की मृत्यु परा...
...किये है, वादीगण ने स्व. गोपिया के मरने के उपरान्त बैठका मांडा...

वादीगण 12 दिन तक स्व0 गोपिया के मरने बाद बैठी है, और उसका सारा सामाजिक क्रिया कर्म किया है। प्रतिवादी संख्या 03 स्व0 गोपिया की मृत्यु पर आया ही नही, न ही बैठक में शामिल हुआ है, न ही मृतक का क्रिया कर्म ही किया है। प्रतिवादी संख्या 03 को मृतक गोपिया की भूमियों में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतीप वादी की कलम नंबर 06 जिस ढंग से लिखी है, वो गलत होकर अस्वीकार है। गोपिया की मृत्यु के पश्चात गोपिया की सारी जमीन जायदाद पर विरासत से वादीगण को हक प्राप्त है। प्रतीप वाद की कलम नंबर 8 कानूनी है। प्रतीप वाद की कलम नंवर 9 कानूनी होरक न्यायालय के जांच से संबंधित है। प्रतीप वाद की कलम नंबर 10 प्रार्थना है, जो पूर्णतः अस्वीकार है। प्रार्थना की कलम नंबर (क) में प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रसत भूमियों की घोषणाकराने का कोई अधिकारी नहीं है, न ही प्रतिवादी सं. 3 को वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा कराने का अधिकार है। प्रार्थना की कलम नंबर (ख) प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी हनं है, प्रतिवादी सं0 3 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कमजा ही नहीं है, तो प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता है। शेष (ग)(घ) अस्वीकार है। विशेष कथन अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 03 अपने पिता हरलाल की पुश्तेनी जमीन पर काबिज है, व स्व0 हरलाल की जमीन प्रार्थी के नाम पर रेकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 03 दोनो की सम्पति का अधिकारी नहीं हो सकता है। स्व0 गोपिया ने प्रतिवादी संख्या 03 को गोद नहीं लिया है, न ही वसीयतकी है, फर्जी रूप से जमीन हडपने के उदेश्य से गोदनामा व वसीयत तैयार करवाई छै, वादीगण इसे निरस्त कराने की कार्यवाही करवायेगी। प्रतिवादी संख्या 03 ने अपनी वल्दयत में हरलाल अंकित कर जवाब दावा पेश किया है, और तस्दीक में भी अपनी वल्दियत हरलाल अंकित करवाया है। प्रतिवादी संख्या 03 को अगर गोद लिया होता तो वो गोद पिता गोपिया उर्फ गोपीलाल का नाम दर्ज कराता। इससे ही जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने वादग्रस्त जायदाद को हड़पक करने के उद्देश्य से यह प्रतीप वाद पेश किया है। जो काबिल खारिज है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 03 का प्रतीप वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, प्रतिपवाद एवं प्रतिपवाद के जवाब के आधार पर निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. आया वाद पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमियो की वादीगण एक मात्र खातेदार हाकर वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी के अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है।

जिम्मे वादीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

2. आया प्रतिवादीगण के विकट स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की वादीगण अधिकारिणी है।

जिम्मे वादीगण

3. आया प्रतिवाद पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमियों का गोरनामा व वसियत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 खातेदारी घोषणा करवाने अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी सं.3

4. आया प्रतिवाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात विसयत व गोद पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 3 खातेदारी घोषणा कराने का अधिकरी।

जिम्मे प्रतिवादी सं.3

वादीगण ने अपने वादपत्र एवं प्रतिपवाद के जवाब के समर्थन में पीडब्ल्यू–01 रानीबाई, पीडब्ल्यू–02 भैरूसिंह, पीडब्यू–03 भगवतसिंह, पीडब्ल्यू–04 भैरूसिंह, पीडब्ल्यू–05 किशनलाल, पीडब्ल्यू–06 नानालाल, पीडब्ल्यू–07 कंचन के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर जिरह पूर्ण हूई। तथा दस्तोवजी साक्ष्य जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01 से 03, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र दिये प्रदर्श–04 (पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये गये), पोस्टल रसीदे प्रदर्श–05 व 06 (पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये गये), पावती रसीद प्रदर्श–07 (पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये गये), आम सूचना प्रदर्श–08, अखबार में आम सूचना प्रकाशित प्रदर्श–09, गोपिया का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–10 के प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने जवाब दावा एवं प्रतिपवाद के समर्थन में गवाह डीडब्ल्यू–01 सुरेशचन्द्र, डीडब्ल्यू– 02 प्रतापसिंह, डीडब्ल्यू–03 सुरेन्द्रसिंह, डीडब्ल्यू–04 उदयराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर जिरह पूर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य वसीयत पत्र की प्रति प्रदर्श–ए2, पंजीकृत गोदनाम 23.12.2009 की प्रति प्रदर्श–ए1 के प्रस्तुत किये गये।

पत्रावली बहस में नियत थी कि प्रकरण राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत जवासिया पर रखा गया। दौराने शिविर वादीया उपस्थित तथा प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी का बहस का अवसर बन्द किया गया।

वादीगण को सुना गया एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

1. तनकी संख्या 01 जिम्मे वादीगण होकर वादीगण ने अपनी तनकी के समर्थन में में पीडब्ल्यू–01 रामीबाई, पीडब्ल्यू–02 भैरूसिंह, पीडब्यू–03 भगवतसिंह, पीडब्ल्यू–04 भैरूसिंह, पीडब्ल्यू–05 किशनलाल, पीडब्ल्यू–06 नानालाल, पीडब्ल्यू–07 कंचन के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर जिरह पूर्ण हुई। तथा दस्तोवजी साक्ष्य जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01 से 03, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र दिये प्रदर्श–04 (पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये गये), पोस्टल रसीदे प्रदर्श–05 व 06 (पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये गये), पावती रसीद प्रदर्श–07 (पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये गये), आम सूचना प्रदर्श–08, अखबार में आम सूचना प्रकाशित प्रदर्श–09, गोपिया का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–10 के प्रस्तुत किये गये। पत्रावली के अवलोकन से वादपत्र के अंकित धन्ना के सजरे के 03 वारिस 02 पुत्रियॉ रामीबाई, नाथीबाई तथा 01 पुत्र गोपिया है तथा गोपिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में गोदनामा पंजीकृत करवा रखा है। जहॉ तक वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक बताते हुए केवल मात्र वादिया ही वारिस होना अंकित किया गया जो पंजीकृत गोदनामा अनुसार गलत तथ्य अंकित किया है। जब धन्ना के वारिस गोपिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 को गोद रख कर गोदनामा पंजीकृत करवा रखा है ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त भूमियों में 1/3–1/3 हिस्से तक ही अपना हक अधिकार रखती है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित की जाती है।

2. तनकी संख्या 02 जिम्मे वादीगण होकर तनकी संख्या 01 के अनुसार अपने हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी होने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित की जाती है।

3. तनकी संख्या 03 जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03 होकर उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने जवाब दावा एवं प्रतिपवाद के समर्थन में गवाह डीडब्ल्यू–01 सुरेशचन्द्र, डीडब्ल्यू–02 प्रतापसिंह, डीडब्ल्यू–03 सुरेन्द्रसिंह, डीडब्ल्यू–04 उदयराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर जिरह पूर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य वसीयत पत्र की प्रति प्रदर्श–ए2, पंजीकृत गोदनाम 23.12.2009 की प्रति प्रदर्श–ए1 के प्रस्तुत किये गये। पत्रावली के अवलोकन से प्रदर्श– ए1 एवं ए2 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 1/3 हिस्से तक की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

4. तनकी संख्या 04 जिम्में प्रतिवादी संख्या 03 होकर तनकी संख्या 03 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 1/3 हिस्से तक की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक घोषणा को एवं प्रतिवादी संख्या 03 को प्रतिपवाद आंशिक घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम गांगास में आराजी संख्या 432, 848, 849, 850, 1084/161, 1085/163, 1086/457, 1087/161 कुल किता–08 कुल रकबा 13–01 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 को 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा अपने प्रतिपवाद में ग्राम गांगास के आराजी संख्या 932 रकबा 03–03 बीघा के सन्दर्भ में कोई राहत नही चाहे जाने से उक्त आराजी संख्या 932 रकबा 03–03 बीघा में धन्ना के 2/10 हिस्से का वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प जवासिया पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 07/2011

अनवान

वादी पक्ष :–

1. नाथीबाई पुत्री धन्ना पति जवाहरजी सदरगडा, निवासी– गांगास, तह0 रेलमगरा
2. रामीबाई पुत्री धन्ना पति मानाजी जाति सरगडा, निवासी– हाल गांगास, तह0 रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. ग्राम पंचायत जवासीया जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जवासीया,तह0 रेलमगरा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा।
3. सुरेशचन्द्र दतक पुत्र गोपीया उर्फ गोपीलाल जाति सरगडा, निवासी– गांगास, तह0 रेलमगरा

दावा :– स्वत्व घोषणा एवम स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से :–भैरूलाल जाट

प्रतिवादी की ओर से :–चावण्ड सिंह शक्तावत

में इस आशय मे दिनांक 16/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पे होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार वादीगण का वाद आंशिक घोषणा एवं प्रतिवादी संख्या 03 को प्रतिपवाद आंशिक घोषणा का स्वीव किया जाकर ग्राम गांगास में आराजी संख्या 432, 848, 849, 850, 1084/161, 1085/1(1086/457, 1087/161 कुल किता–08 कुल रकबा 13–01 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख 03 को 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या द्वारा अपने प्रतिपवाद में ग्राम गांगास के आराजी संख्या 932 रकबा 03–03 बीघा के सन्दर्भ में क राहत नही चाहे जाने से उक्त आराजी संख्या 932 रकबा 03–03 बीघा में धन्ना के 2/10 हिस्से वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कि जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम जावें।

आज दिनांक 16/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एव मोहर से जारी की गई।

(शक्तिसिंह भा
सहायक कलक
(उप खण्ड अधिक
रेलमगरा